" प्रपत्र-31 "

विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक – 3220

विकासखण्ड शहपुरा जिला जबलपुर अंतर्गत घुघरानाला जलाशय की जानकारी

स.क्र.	योजना का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति की राशि (रू. लाख में) पत्र कमांक एवं दिनांक	कुल व्यय 6/2019 की स्थिति में रूपये लाख में		भौतिक प्रगति प्रतिशत में		लाभांवित ग्रामों / कृषकों की संख्या तथा रकबा			प्रभावित वन भूमि (हे.में)	रिमार्क
			बांध	नहर	बांध	नहर	ग्राम की संख्या	कृषकों की संख्या	रकबा (हेक्ट. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	घुघरानाला जलाशय	1. म.प्र.शासन का पत्र कमांक एफ/22/07/13–14/ल.सिं. /31(1709) दि. 27.8.13 रूपये 521.34 लाख 2. पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति म.प्र. शासन का पत्र कमांक एफ/22/03/17–18/ल.सिं. /31(2164) दि. 01.10.18 रूपये 676.01 लाख	349.28		90	40	4	120	233 हे.	2.12 हे.	व्यय राशि भू-अर्जन वन भूमि सहित है।

(राम सलोने शर्मा)
कार्यपालन यंत्री
हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर

प्रश्न सं. [क्र. 3220]

[25/7/2019]

V S. 3220

परिशिष्ट-1

क्रमांक 230 / उ.द / सत. / 2019
कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग
जल संसाधन भवन, तुलसी नगर
भोपाल (म.प्र.)

भोपाल, दिनांक 15/07/2019

प्रति,

श्री संजय यादव,
माननीय विधायक,
बरगी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक–96,
जिला जबलपुर (म.प्र.)।

विषयः– घुघरा नाला (हीरापुर) जलाशय की जानकारी उपलब्ध कराने बाबत्।

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक एम / 2019 / 583 दिनांक 04.03.2019

----000000----

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के तारतम्य में लेख है कि आपके चाहे अनुसार विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत निर्माणाधीन घुघरा नाला (हीरापुर) जलाशय के संबंध में जानकारी निम्नानुसार हैः–

1. आपके द्वारा चाहे गए अभिलेख कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर के पत्र क्रमांक 600 / कार्य / 2019 जबलपुर दिनांक 08.03.2019 द्वारा उपलब्ध करा दिये गये हैं। (छायाप्रति संलग्न)
2. कार्यपालन यंत्री द्वारा माह फरवरी–2019 के विधानसभा सत्र में लगाये गये ध्यानाकर्षण का जवाब वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से म.प्र. विधानसभा सचिवालय को उपलब्ध करा दिया गया है। (छायाप्रति संलग्न)
3. आपके पत्र में उल्लेखित घुघरा जलाशय के निर्माण कार्यों की भौतिक जांच हेतु कार्यालयीन स्तर से जांच दल गठित कर जांच करवाई गई। जांच अधिकारी ने जांच उपरांत यह निष्कर्ष प्रतिवेदित किया है कि निर्माण कार्य निर्धारित गुणवत्ता के अनुरूप किया गया एवं ठेकेदार को कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाना पाया गया है। (छायाप्रति संलग्न)

जांच अधिकारी से प्राप्त निष्कर्ष समाधानकारक है।

कृपया तदानुसार अवगत होना चाहेंगे।

सहपत्रः– उपरोक्तानुसार

15.07.19
(मदन सिंह डावर)
प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग, म.प्र.,भोपाल

पृष्ठा.क्र. 230 / उ.द / सत. / 2019

भोपाल, दिनांक 15/07/2019

प्रतिलिपिः–

कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है कि माननीय विधायक को अपने स्तर से वांछित जानकारी समय–समय पर प्राथमिकता के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करें।

15.07.19
(मदन सिंह डावर)
प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग, म.प्र.,भोपाल

C:\USERS\WIN7\DESKTOP\MLA-SANJAY YADAV JABALPUR-DT 15-07-2019.DOCX